

## अवकाश यात्रा सुविधा प्रमाण-पत्र

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र—

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा वास्तव में कर ली है और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
- (3) मेरी पत्नी / मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं / कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग नहीं किया है।
- (4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी / मेरे पति, जिसके लिये अवकाश यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, राजस्व विभाग उत्तरप्रदेश में कार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक की इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम